संख्या-1/24/30-4-14-8(22)/12

प्रेषक,

बी0एस0 भुल्लर,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 2014

विषय:-अवैधानिक रूप से टैक्सी के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे निजी वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से निर्गत परिवहन अनुभाग'4 के पत्र संख्या-447/30-4-12-8(22)12 दिनांक 16.05.2012 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में नियम विरूद्ध प्रयुक्त होने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व हानि के दृष्टिगत अपने अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं स्थानीय निकायों में टैक्सी के रूप में संचालन हेतु निजी वाहनों को आबद्ध न किया जाय तथा वर्तमान में टैक्सी के रूप में संचालित वाहनों की सूची सम्बन्धित जनपद के परिवहन अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाय। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की समीक्षा में यह पाया गया है कि उपर्युक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है, जिससे सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है।

अत: इस सम्बन्ध में पुन: आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16.05.2012 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0एस0 भुल्लर)

प्रमुख सचिव।

संख्या-24(1)/30-4-2014, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु उप परिवहन आयुक्त/संभागीय परिवहन आयुक्त /सहायक संभागीय परिवहन आयुक्त को निर्देशित करते हुए नियमित समीक्षा करने का कष्ट करें।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
उप सचिव।